

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

139

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1621

दिनांक : 28/2/14

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार :- कैलादेवी महाविद्यालय ग्राम अहरोलीकाली, अटेर, जिला- भिण्ड को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित, बी.ए. तृतीय, (आ.पा., विशिष्ट हिन्दी, विशिष्ट अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अति.वि.इतिहास एवं बी.एस-सी.- तृतीय वर्ष (आ.पा., भौतिक, गणित, रसायन, (अति.वि. जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम) के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. 28(17) के अन्तर्गत शैक्षणिक स्टाफ का अनुमोदन कार्यपरिषद् से कराये।
2. 20,000/- रुपये की पुस्तकें क्रय करें।
3. रसायन, प्रयोगशाला को उन्नत करे।
4. शिक्षकों के वेतन को बैंक के माध्यम से दें।
5. एन.एस.एस. इकाई की स्थापना करे।
6. परिनियम 27 एवं 28 का पालन करे।

आदेशानुसार  
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य कैलादेवी महाविद्यालय ग्राम अहरोलीकाली, अटेर, जिला- भिण्ड
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)